प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, अहमदाबाद दक्षिण
Office of the Principal Commissioner, Central Goods and Service Tax, Ahmedabad South
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015
Central Goods and Service Tax Building, Revenue Road, Ambawadi, Ahmedabad –380015
दूरभाष सं./Telephone no. -079-26308237 फैक्स सं./Fax no.-079-26306152

F.NO. IV/16-07/TRADE Notice/2019-20 Date: 30/08.2019

व्यापार सूचना स. 02/2019
Trade Notice NO. 02/2019

विषय: सबका विश्वास (लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) योजना, **2019** के अंतर्गत घोषणा के लिए प्रक्रिया:- के सम्बन्ध में

Sub: Procedure for get Declaration under Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019. – regarding

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली द्वारा फा.सं. 267/78/2019/-के.उ.शु. 8 (भाग-III) के द्वारा जारी अधिसूचना सं. 05/2019 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गैर टैरिफ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा सबका विश्वास (लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) योजना, 2019 को बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है। (प्रतिलिपि संग्लित)

Kind attention of trade is invited to the Notification No. 05/2019-Central Excise (NT) dated 21.08.2019 issued vide F. No. 267/78/19-CX8 (Pt III) by CBIC, New Delhi wherein the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rule, 2019 has been notified by the Board. (copy enclosed)

व्यापार का ध्यान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा फा.सं. 267/78/2019/-C.Ex. 8 (भाग-III) के जारी अधिसूचना सं. 04/2019 कें.उ.शु. (गैर टैरिफ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा सबका विश्वास (लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) योजना, 2019 दिनांक 01.09.2019 से प्रभावी होगी। यह योजना 01.09.2019 से 31.12.2019 तक सक्रिय रहेगी। (प्रतिलिपि संग्लित)

Kind attention of trade is invited to the Notification No. 04/2019-Central Excise (NT) dated 21.08.2019 issued vide F. No. 267/78/19-CX8 (Pt III) by CBIC, New Delhi wherein the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 shall come into force w.e.f. 01.09.2019. This scheme is operationalized from 01.09.2019 to 31.12.2019. (Copy enclosed)

सबका विश्वास (लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) योजना, २०१९ का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित बताई गयी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:-

1. घोषणा प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया:-

(i) धारा 125 के अंतर्गत घोषणा का फॉर्म – धारा 125 के अंतर्गत घोषणाकर्त्ता द्वारा की गयी घोषणा SVLDRS-1 फॉर्म में https://cbic-gst.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से 31 दिसम्बर, 2019 अथवा उसके पूर्व की जाएगी।

(ii) प्रत्येक मामले में प्रथक घोषणा दाखिल की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्धेश्य के लिए " मामले" का अर्थ है-

(क) कारण बताओ सूचना, अथवा ऐसी सूचना के कारण उत्पन्न एक या उससे अधिक अपील जो कि 30 जून, 2019 तक विचाराधीन हो, अथवा

(ख) बकाया रकम; अथवा

(ग) जांच अथवा छानबीन अथवा लेखा परीक्षा जिसमे रकम 30 जून, 2019 तक या पूर्व निर्धारित की गई हो; अथवा

(घ) स्वैच्छिक प्रकटीकरण

The following detailed procedure is prescribed for availing the benefit of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019

1. Procedure for submitting Declaration:

(i) Form of declaration under section 125 .- (1) The declaration under section 125 shall be made electronically at https://cbic-gst.gov.in in Form SVLDRS-1 by the declarant ,on or before the 31st December,2019.

(ii) A separate declaration shall be filed for each case.

Explanation.- For the purpose of this rule, a "case" means –

(a) a show cause notice, or one or more appeal arising out of such notice which is pending as on the 30th day of June, 2019; or
(b) an amount in arrears; or
(c) an enquiry or investigation or audit where the amount is quantified on or before the 30th day of June, 2019; or
(d) a voluntary disclosure.

2. घोषणा की पावती

स्वत: पावती- घोषणा की प्राप्ति पर, एक विशिष्ट संख्या वाली स्व-पावती प्रणाली द्वारा द्वारा उत्पन्न की जाएगी।

2. Acknowledgement of Declaration:

Auto acknowledgement: - On receipt of declaration, an auto acknowledgement bearing a unique reference number shall be generated by the system.

3. पदनामित समिति द्वारा कार्यवाही

धारा 125 के अंतर्गत घोषणा की ऑनलाइन प्राप्ति पर, पदनामित समिति द्वारा घोषणा का सत्यापन किया जायेगा तथा फा.सं. 267/78/2019/-C.Ex. 8 (भाग-III) के द्वारा जारी अधिसूचना सं. 05/2019 केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गैर टैरिफ) दिनांक 21.08.2019 के अंतर्गत, प्रक्रिया के अनुसार घोषणाकर्ता के द्वारा दिए गए ब्योरो एवं विभाग के पास उपलब्ध रेकार्डो के आधार पर एक आकलन जारी किया जायेगा।

3. Action to be taken by the Designated Committee;

On online receipt of the declaration under Section 125, the Designated Committee shall verify the declaration and issue an estimate based on the particular furnished by the declarant as well as the records available with the

25/8/19

Department as per the procedure prescribed under Notification No. 05/2019-Central Excise (NT) dated 21.08.2019 issued vide F. No. 267/78/19-CX8 (Pt III).

4. भुगतान का प्रकार एवं तरीका

प्रत्येक घोषणाकर्ता को/ पदनामित समिति द्वारा जारी किया फॉर्म SVLDRS-3 में सूचित किए अनुसार रकम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त फॉर्म के जारी किये जाने की तारीख से 30 दिवस के भीतर अदा किया जाएगा ।

4. Form and manner of making the payment.

Every declarant shall pay electronically the amount, as indicated in Form SVLDRS-3 issued by the designated committee, within a period of thirty days from the date of its issue.

5. उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय से अपील वापस लेने का प्रमाण

घोषणाकर्ता द्वारा धारा 127 की उप-धारा (7) के अंतर्गत यथास्थिति उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील अथवा याचिका अथवा सन्दर्भ को वापस लेने का प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुहैया किया जायेगा ।

5. Proof of withdrawal of appeal from High Court or Supreme Court.

Proof of withdrawal of appeal or writ petition or reference before a High Court or the Supreme Court, as the case may be, under sub-section (7) of section 127 shall be furnished electronically by the declarant.

6. निर्वहन प्रमाणपत्र (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) जारी करना

ये संतुष्ट होने पर की घोषणाकर्ता द्वारा उसके द्वारा निश्चित एवं फॉर्म SVLDRS-3 में सूचित पूर्ण रकम का भुगतान कर दिया गया है तथा नियम 8 में संदर्भित हवाला अथवा याचिका अथवा अपील वापस लेने के प्रमाण की प्रस्तुति पर पदनामित समिति द्वारा उक्त भुगतान के 30 दिवस के भीतर तथा उक्त प्रमाण की प्रस्तुति पर, जो भी बाद में किया गया हो, उप-धारा (8) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म SVLDRS-4 में निर्वहन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहाँ नियम 6 के उप-नियम (2) में परंतुक के आधार पर नामित समिति द्वारा कोई एसवीएलडी जारी नहीं किया गया है , तो नियम 3 के उप नियम (1) के अंतर्गत घोषणा पत्र फाइल होने के 30 दिन के भीतर डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

6. Issue of discharge certificate.

The designated committee on being satisfied that the declarant has paid in full the amount as determined by it and indicated in Form SVLDRS-3, and on submission of proof of withdrawal of appeal or writ petition or reference referred to in rule 8, if any, shall issue electronically in Form SVLDRS-4 a discharge certificate under sub-section (8) of section 127 within thirty days of the said payment and submission of the said proof, whichever is later:

25/3/19

Provided that in a case where Form SVLDRS-3 has not been issued by the designated committee by virtue of the proviso to sub-rule (2) of rule 6, the discharge certificate shall be issued within thirty days of the filing of declaration referred to in sub-rule (1) of rule 3.

(सुनील कुमार सिंह / Sunil Kumar Singh)
प्रधान आयुक्त / Principal Commissioner
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर/Central GST
अहमदाबाद दक्षिण/ Ahmedabad South.

प्रतिलिपि प्रेषित:-
Copy to:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त , केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और के.उ.शु., अहमदाबाद दक्षिण I
1. The Principal Chief Commissioner, Central GST & Central Excise, Ahmedabad Zone.
2. व्यापार एवं विभागीय डाक सूची के अनुसार I
2. As per mailing list of Trade & Department.
3. सभी सह/उप आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, मंडल I-VIII, अहमदाबाद दक्षिण I
3. All AC /DC of Central Tax, Division –I to VIII Ahmedabad – South.
2. अधीक्षक (प्रणाली), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अहमदाबाद दक्षिण कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए I
4. Supdt (System), Central GST, Ahmedabad South to upload the same on Official Website.